पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट को दिनांक 18.10.2023 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम बाबत कथन किया कि दावाकृत भूमि ग्राम दिलवाडा की वर्किंग खसरा नम्बर 1293 के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बने हाल खसरा नम्बर 1395 रकबा 0.34, 1396 रकबा 0.15, 1396/1776 रकबा 0.19 भूमि कुल रकबा 4–3–0 भूमि अपीलार्थीगण की खातेदारी की भूमि है तथा अपीलार्थीगण काबिज चले आ रहे है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र संख्या 67/2020 में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बिना किसी आधार के पारित की गयी जिससे अपीलार्थीगण को रेस्पोडेन्टगण भूमि से बेदखल करने पर आमादा है तथा भूमि पर ऋण प्राप्त करने एवं विक्रय पत्र का नामान्तकरण पर अडचन पैदा कर रहे है जिससे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 20.07.2023 का को शीघ्र सुनवाई का आवेदन पेश किया तथा पूर्व में हर तारीख पेशी पर बहस के लिए निवेदन किया गया किन्तु आज दिवस तक बहस नही हुई जिससे नकल दिनांक 12.10.2023 को प्राप्त कर अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। जिसमें देरी क्षमा योग्य है। अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 04.12.2020 के स्थगन आदेश का जवाब प्रस्तुत करने तथा शीघ्र सुनवाई नही होने पर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की गयी। जिसमें देरी क्षमा योग्य है। अतः अपीलार्थीगण की अपील अन्दर मियाद व जानकारी से पेश करने से मियाद अवधि क्षमा की जाकर अपील ग्रहण करने के आदेश न्यायहित में पारित करने की कृपा करावे।

तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत निवेदन किया कि दावाकृत भूमि ग्राम दिलवाडा की वर्किंग खसरा नम्बर 1293 के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बने हाल खसरा नम्बर 1395 रकबा 0.34, 1396 रकबा 0.15, 1396/1776 रकबा 0.19 भूमि कुल रकबा 4–3–0 भूमि अपीलार्थीगण की खातेदारी की भूमि है तथा अपीलार्थीगण काबिज चले आ रहे है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र संख्या 67/2020 में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बिना किसी आधार के पारित की गयी जिससे अपीलार्थीगण को रेस्पोडेन्टगण भूमि से बेदखल करने पर आमादा है तथा भूमि पर ऋण प्राप्त करने एवं रजिस्ट्री का नामान्तरण में अडचन पैदा कर रहे है जिससे स्थगन आदेश दिनांक 04.12.2020 की क्रियान्विति प्रभाव स्थगित की जावें। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला अपील ग्राम दिलवाडा की वर्किंग खसरा नम्बर 1293 के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बने हाल खसरा नम्बर 1395 रकबा 0.34, 1396 रकबा 0.15, 1396/1776 रकबा 0.19 भूमि कुल रकबा 4–3–0 पर अधीनस्थ न्यायालय की क्रियान्विति एवं प्रभाव को स्थगित किया जाने का आदेश पारित करने के लिए आदेश पारित किया जावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.12.2020 का है जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश दिया गया था। विवादित भूमि जिस बाबत अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी के अपीलांट रिकार्डेड खातेदार होकर उनके कब्जे काश्त में चली आ रही हैं। दिनांक 20.7.2023 को अपीलांट पक्ष की ओर से शीघ्र सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय में निवेदन किया गया मगर आज दिन तक बहस नहीं की गई है। इस वजह से ही अपील प्रस्तुत की गई है देरी को क्षमा किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय की प्रकरण संख्या 67/2020 नंदकिशोर बनाम नाथू वगैराह किस्म मुकदमा 212 आरटी एक्ट की प्रोसिडिंग दिनांक 4.12.2020 से दिनांक 31.8.2023 का अवलोकन किया गया दिनांक 4.12.2020 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व अभिलेख की स्थिति यथावत रखने व बेचान नहीं करने बाबत आदेश दिया गया था। दिनांक 29.9.2021 को प्रकरण को अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया गया। मगर दिनांक 17.10.2022 को पुनः नए आदेश से राजस्व अभिलेख की स्थिति यथावत रखने व बेचान नहीं करने के आदेश किए गए। दिनांक 31.8.2023 तक न्यायालय प्रोसिंडिग के अनुसार प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में तलबी पर चल रहा है तथा अंतिम निस्तारण इसका नहीं किया गया है तथा ऐसी स्थिति में जबकि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई के प्रार्थना पत्र पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है अपीलांट के पास अपील

26.10.2023

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

CamScanner

प्रस्तुत करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता है, इसी रोशनी में अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। एकपक्षीय बहस के दौरान वकील अपीलांट द्वारा यह बताया गया था कि अपीलांट पक्ष द्वारा दिनांक 8.6.1972 को देवकरण हीरा पिता बख्तावर जाट से खसरा नम्बर 1293 खरीदा था। रेस्पोडेंट पक्ष द्वारा जो भूमि खरीद की गई थी उसका खसरा नम्बर 1093 है। खसरा नम्बर 1293 के नए नम्बर 1395 व 1396 बने है जो मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट होता है। वकील अपीलांट के अनुसार इन्होंने जो भूमि कय की है वह इनके खाते में दर्ज है। जमाबंदी 2071–74 ग्राम दिलवाडा खाता संख्या 124 खसरा संख्या 1395 व 1396 के खातेदारों में वर्तमान अपीलांट नाथू पुत्र लादु का नाम 1/6 हिस्से के सहखातेदार के रूप में दर्ज है। विवादित खसरा नम्बर से बेचान संबंधित नामांतरकरण संख्या 589 दिनांक 5.6.2023 प्रकियाधीन है। उक्त प्रकियाधीन नामांतरकरण में हंजा पत्नी बीरमदेव का नाम भी दर्ज है जो कि अपीलांट नम्बर 3 है। अपीलांट संख्या 2 नाथूलाल(अपीलांट 1) का पुत्र है। अधीनस्थ न्यायालय में अंतरिम स्थगन आदेश के बाद अपीलांट द्वारा दिनांक 12.1.2021 को जवाब दिए जाने के बावजूद 212 के प्रार्थना पत्र पर निस्तारण नहीं किया जो आदेश 39 रूल 3ए सीपीसी का उल्लंघन है। अधीनस्थ न्यायालय को जवाब प्राप्त होते ही निर्णय करना चाहिए था जो उसके द्वारा नहीं किया गया। जबकि अपीलांट नाथूलाल सहखातेदार के रूप में दर्ज काश्तकार था। अतः उसका प्रथम दृष्टया प्रकरण बनना पाया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय के अंतरिम स्थगन आदेश से अपीलांट को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना बनती है और ऐसे स्थगन आदेश से उसे विशद अनिष्ट होने की संभावना भी बनती है। इस स्टेज पर न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 4.12.2020 को दिए गए अंतरिम स्थगन आदेश को अंतरिम रूप से स्थगित करने का आदेश देता है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि आगामी एक माह में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब पर बहस सुनकर 212 के प्रार्थना पत्र का अंतिम रूप से निस्तारण करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

26/10/2023

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर